FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0032 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/02/2026 13:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 02/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:13 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/02/2026 **Time (समय):** 09:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/02/2026 13:04:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT BHAGEGA SITHT, PATWAR GHAR BHAGEGA, NEEM KA THANA JILA SIKAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PRAKASH CHAND GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DURGAPRASAD GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2005 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHANI PALWALI, GRAM PANCHAYAT BHAGEGA, NEEM KA THANA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHANI PALWALI, GRAM PANCHAYAT BHAGEGA, NEEM KA THANA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUMAN KUMARI		पति:LET. SHIVRANJAN	1. MAHESHWAS KLAN POST JHOTWARA,KALWAR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 29.01.2026 को ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 से सूचना प्राप्त होने पर श्री विजय कुमार एएसपी, भ्र.नि.ब्यूरो, सीकर द्वारा परिवादी श्री प्रकाशचन्द से सम्पर्क किया जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। एएसपी साहब के अवकाश पर जाने के फलस्वरुप एएसपी साहब ने मन् पुलिस निरीक्षक को मामले में अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। दिनांक 30.01.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर श्री कैलाशचन्द कानि. को सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाकर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु समय 08.00 एएम पर भगेगा, नीमकाथाना रवाना किया गया था। दिनांक 30.01.2026 को समय 03.00 पीएम पर श्री कैलाशचन्द कानि. ने कार्यालय में उपस्थित होकर परिवादी श्री प्रकाशचन्द का लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे पिताजी दुर्गाप्रसाद व काकाजी ग्यारसीलाल गुर्जर का जमाबंदी में नाम शुद्ध करवाने के लिये अप्लाई किया था। नाम शुद्धि करने की एवज में पटवारी सुमन कुमारी पटवार हल्का भगेगा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रही है जो मैं देना नहीं चाहता हूं, रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरा पटवारी से पूर्व की कोई रंजिश व रुपयों का कोई लेनदेन नहीं है, नियमानुसार कार्यवाही करें। एसडी-प्रकाशचन्द गुर्जर दिनांक 30.01.2026श्री कैलाशचन्द कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को कार्यालय का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर मैने परिवादी से सम्पर्क करते हुये गांव भगेगा पहूंचा जहां परिवादी श्री प्रकाशचन्द उपस्थित मिला, जहां परिवादी श्री प्रकाशचन्द ने श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा को रिश्वत लेते हुये पकड़वाने बाबत एक लिखित प्रार्थना पत्र मुझे सुपुर्द किया। परिवादी के चाहेनुसार ग्राम पंचायत भगेगा में स्थित पटवार घर के पास पहुंचकर परिवादी को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के ग्राम पंचायत से वापिस आने पर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। कानि. श्री कैलाशचन्द ने यह भी बताया कि श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी द्वारा परिवादी से 7,000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग की गई है तथा रिश्वती राशि दिनांक 02.02.2026 को देने की कही है। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं परिवादी द्वारा कानि. को बताये गये कथनों की पुष्टि हुई । डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षित आलमारी में रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशचन्द से जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द ने श्री कैलाशचन्द कानि. को बताये कथनों एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की, जिस पर परिवादी के चाहेनुसार दिनांक 02.02.2026 को अग्रिम कार्यवाही करने की परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 02.02.2026 को समय 08.30 एएम पर पूर्व से पाबंद शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री भवानी सिंह वरिष्ठ सहायक, एवं श्रीमती दीपिका शर्मा कनिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सीकर एवं ब्यूरो स्टाफ के उपस्थित कार्यालय आने पर फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाकर समय 09.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री भवानी सिंह वरिष्ठ सहायक, एवं श्रीमती दीपिका शर्मा कनिष्ठ सहायक, स्टाफ के श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87, श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43, श्री मनोज कुमार एचसी नं. 134, श्री अशोक कुमार एचसी नं. 76, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री शीशराम कानि. नं. 311, श्री महेश कुमार एचसी नं. 48, श्रीमती निर्मला महिला कानि. नं. 307, श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक के चालक श्री सुरेशचन्द एचसी के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों के मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप मय प्रिन्टर व डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड को साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर से जरिये मोबाईल सम्पर्क करते हुये नीमकाथाना-सीकर बाईपास रोड़, सिरोही पहुंचा, जहां परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक ने वाहनों को साईड में रुकवाकर परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर से आवश्यक पूछताछ की तो परिवादी श्री श्री प्रकाशचन्द गुर्जर ने पूर्व में श्री कैलाशचन्द कानि. को पेश प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताते हुये श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी से पूर्व की कोई रंजिश अथवा कोई उधार का लेनदेन नहीं होना बताया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को पूर्व में जरिये मोबाईल फोन बताये कथनों की ताईद की। परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भवानी सिंह वरिष्ठ सहायक, एवं श्रीमती दीपिका शर्मा कनिष्ठ सहायक

का आपस में परिचय करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हिदायत देने पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर ने श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को रिश्वत के रुप में दिये जाने वाले नोट पॉच-पॉच सौ रुपये के 14 नोट कुल 7,000 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार हैः- 1. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6 KU 166820 2. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6 BL 726871 3. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8 WP 903449 4. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6 GR 794017 5. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 0 MA 452670 6. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8 SL 547896 7. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5 SP 418307 8. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6 KU 474721 9. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6 KU 474722 10. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9 KK 865884 11. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6 TU 116594 12. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1 GP 621576 13 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 0 CG 080947 14. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8 AW 572640 तत्पश्चात सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर नोटों को एक अखबार पर बिछाकर हस्ब कायदा फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर गवाह श्री भवानी सिंह से परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे 7,000 रुपयों के नोट श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से परिवादी प्रकाशचन्द गुर्जर के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये जाकर परिवादी को तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें थोङा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नहीं बदला इस घोल में श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक जिसने नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रखकर रुपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। कार्यालय की डीजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चत कर उक्त डीजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक को अपने साथ एसीबी चौकी सीकर ले जाने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी की मौजुदगी का पता लगाने के लिये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर को कहने पर परिवादी ने अपने स्तर पर मालूमात कर आरोपिया पटवारी को ग्राम पंचायत भगेगा स्थित पटवार घर में नहीं होना बताते हुये करीब एक-डेढ घण्टे बाद भगेगा आने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के नीमकाथाना-सीकर बाईपास रोङ सिरोही पर ही मुख्य सङक पर वाहनों में ही मुकिम रहा। तत्पश्चात समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने स्तर पर मालूमात कर आरोपिया पटवारी को ग्राम पंचायत भगेगा स्थित पटवार घर में उपस्थित होना बताया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री प्रकाशचन्द मय हमराहियान पार्टी के रवाना होकर ग्राम पंचायत भगेगा के पास स्थित रेल्वे लाईन के पास पहुंचा जहां श्री कैलाशचन्द कानि. द्वारा परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द करने पर परिवादी को ग्राम पंचायत भगेगा स्थित पटवार घर की तरफ पैदल-पैदल रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के वाहनों में ही परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 02.13 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर तय ईशारा मोबाईल कॉल प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान पार्टी सदस्यों के वाहनों से रवाना होकर ग्राम पंचायत भगेगा पहूंचा जहां ग्राम पंचायत के पोर्च में खङे परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर ने डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर दक्षिण दिशा में बने कमरे में सामने कुर्सी पर बैठी महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सुमन कुमारी पटवारी है, जिसने अभी-अभी मेरे से 7,000 रुपये रिश्वत के अपने हाथों में लेकर अपनी टेबल की दराज में रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त महिला को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे अपना नाम पता पूछा तो उक्त महिला ने घबराते हुये अपना नाम सुमन कुमारी पत्नी स्व. श्री शिवरंजन, निवासी ग्राम महेशवास कला, पोस्ट झोटवाङा, पुलिस थाना कालवाङ, जयपुर, हाल पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर होना बताया। आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी को परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि मैने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है, फिर कहा मां के ईलाज हेतु लिये है मौके पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर ने आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि पटवारी जी झूठ बोल रहे है, मैने मेरे पिताजी एवं चाचाजी का जमाबंदी में नाम दुरस्त करवाने के लिये इनको कैम्प में कागजात तैयार कर दिये थे, इन्होने आज तक मेरा काम

नहीं किया, दिनांक 30.01.2026 को इन्होने मेरे से नाम दुरस्त करने के लिये 7,000 रुपये रिश्वत के मांगे थे, आज इनको 7,000 रुपये रिश्वत के दिये है। रिश्वत लेनदेन की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्रीमती सुनिता एचसी से आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी का दाहिना हाथ एवं श्रीमती निर्मला महिला कानि. से आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी का बायां हाथ कलाईयों के उपर से पकड़वाये गये। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार एचसी के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासों में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का मटमैला सा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला सा हो गया। दोनो हाथो के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 व आर-2 तथा बांये हाथ के धोवन को मार्क एल-1, एल -2 से सील्ड मोहर कर जप्त किया गया। प्लास्टिक के दोनों डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात गवाह श्री भवानी सिंह से आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी की टेबल की दराजों की तलाशी लिवाई गई तो टेबल की नीचे की दराज में खुले रखे कागजों के बीच पांच-पांच सौ रुपये के नोटो की थेई दिखाई दी, जिसको गवाह श्री भवानी सिंह से उठवाया जाकर गिनवाया तो कुल 7,000 रुपये पाये गये। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरुप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर कुल 7,000 रुपये के नोटों को सफेद कागज व कपड़े पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार एचसी के दोनो हाथों एवं एक नये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साबुन व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी की टेबल की नीचे की दराज जहां कागजों के बीच से रिश्वती राशि बरामद की गई, उन उपर व नीचे के दोनों कागजों का कपड़े की चिन्दी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क टी-1 व टी-2 अंकित कर जप्त किया गया। एक कागज पर उमराव कंवर नाम के पैन कार्ड की फोटो प्रति व दूसरा कागज फर्द मौका जांच से संबंधित है। उक्त दोनों कागजों एवं कपड़े की चिन्दी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त दोनों कागजों व कपड़े की चिन्दी को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ए अंकित कर जप्त किया गया। आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी को परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर से संबंधित कागजात पेश करने की हिदायत देने पर उसने बताया कि माह नवम्बर 2025 में कैम्प के दौरान इन्होने जमाबंदी में नाम दूरस्त करवाने के लिये कागजात दिये थे, परन्तु कागजात पूर्ण नहीं होने के कारण इन्होने कैम्प के पश्चात कागजात की पूर्ती कर मुझे तहसील में दिये थे, तब मैने उन कागजात को श्री ब्रम्हानन्द ऑफिस कानूनगो को जमा करवा दिये थे, उसके बाद इन्होने मेरे से अपने काम के बारे में पूछा तो मैने पता कर इनके कागजात एसडीओ कार्यालय में भिजवाने की बात इनको बताई थी। आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी के कमरे में परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर के कार्य से संबंधित कागजात की तलाश करने पर कोई कागजात नहीं पाया गया। तलवीदा श्री बाबुलाल यादव ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय नीमकाथाना मोबाईल नम्बर ने परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर के परिजनों के जमाबंदी में नाम दुरस्त संबंधी कागजात एसडीओ कार्यालय नीमकाथाना से लाकर पेश किये, जिनका अवलोकन किया तो जमाबंदी में नाम दुरस्त करने के लिये एसडीएम कार्यालय के आदेश दिनांक 14.11.2025 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना को भिजवाये जाने तथा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 03.12.2025 को राजस्व रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद करने के आदेश श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी को दिये गये थे। उक्त दस्तावेजात किता-5 की पुश्त पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी पृथक से तैयार की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान श्री विजय कुमार एएसपी सुपरविजन हेतु मौके पर उपस्थित आये तथा बाद सुपरविजन सीकर के लिये रवाना हुये। आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के विरुद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी के स्पष्टीकरण एवं रिश्वती राशि बरामदगी व हाथ धुलाई की विडियोग्राफी श्री महेश कुमार एचसी से सरकारी मोबाईल फोन में KINGSTON 64 GB मेमोरी कार्ड डलवाकर करवायी गई थी। उक्त मेमोरी कार्ड में की गई विडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग श्री महेश कुमार एचसी के द्वारा लेपटोप के माध्यम से दूसरा मेमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB विडियोग्राफी को डाउनलोड किया जाकर पहले वाले मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर पर मार्क बी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 30.01.2026 को आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील

नीमकाथाना जिला सीकर से ग्राम पंचायत भगेगा स्थित पटवार कार्यालय भगेगा में आमने-सामने हुई वार्ता को परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर एवं स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त के समक्ष श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से कार्यालय के लैपटोप में जुड़वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण करवाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर ने स्वयं की व आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मैमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को तीनों मैमोरी कार्डो में कॉपी की गई। रिश्वत मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड ADATA 16 GB एवं नये तैयार किये गये तीन मेमोरी कार्डो में से एक मेमोरी कार्ड की श्री कैलाशचन्द कानि. से FTK Imager साँफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तैयार किये गये तीन मेमोरी कार्ड में से हैश वैल्यु निकाले गये एक मेमोरी कार्ड पर मार्क सीअंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उन्हे एक सफेद कागज में लपेटकर सफेद कपड़े की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड ADATA 16 GB को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क सी-1 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 02.02.2026 को आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर से ग्राम पंचायत भगेगा स्थित पटवार कार्यालय भगेगा में आमने-सामने हुई वार्ता को परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर एवं स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त के समक्ष श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से कार्यालय के लैपटोप में जुड़वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण करवाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर ने स्वयं की व आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मैमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को तीनों मैमोरी कार्डो में कॉपी की गई।रिश्वत लेनदेन वार्ता में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड एवं नये तैयार किये गये तीन मेमोरी कार्डों में से एक मेमोरी कार्ड की श्री कैलाशचन्द कानि. से FTK Imager साँफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तैयार किये गये तीन मेमोरी कार्डो में से हैश वैल्यु निकाले गये, एक मेमोरी कार्ड पर मार्क डी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उन्हे एक सफेद कागज में लपेटकर सफेद कपड़े की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क डी-1 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। बाद कार्यवाही परिवादी को रुखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व गिरफ्तारशुदा आरोपिया सुमन कुमारी पटवारी व प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा माल वजह सबूत हमराह लेकर सीकर पहुंच प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर से उसके पिताजी दुर्गाप्रसाद एवं चाचाजी श्री ग्यारसीलाल का नाम जमाबंदी में दुरस्त करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 30.01.2026 को परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर से 7,000 रुपये रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुशरण में दिनांक 02.02.2026 को परिवादी श्री प्रकाशचन्द गुर्जर से 7,000 रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। उक्त आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पत्नी स्व. श्री शिवरंजन, निवासी ग्राम महेशवास कला, पोस्ट झोटवाड़ा, पुलिस थाना कालवाड़, जयपुर, हाल पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुभाष मील) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सुमन कुमारी पत्नी स्व. श्री शिवरंजन, निवासी ग्राम महेशवास कला, पोस्ट झोटवाड़ा, पुलिस थाना कालवाड़, जयपुर, हाल पटवारी पटवार हल्का भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश, पुलिस निरीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 41 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 180-83 दिनांक 04.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर 2- जिला कलक्टर, सीकर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Suresh Chand **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/02/2026 13:06:44

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)